उत्तर प्रदेश में 10 सेंटर आफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में जुटी योगी सरकार का जोर उद्योगों के अनुसंधान एवं विकास पर भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 10 उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर आफ एक्सीलेंस) की स्थापना का खाका बुना गया है। निजी-सार्वजनिक कंपनियों को सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, टेक्नोलाजी एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में इस बाबत विशेष प्रविधान किए गए हैं।

सेंटर आफ एक्सीलेंस की एकल अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के निर्माण पर कुल व्यय के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी। यह निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी एवं स्टांप शुल्क के अतिरिक्त होगी। नीति में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए भी प्रोत्साहन के तमाम प्रविधान किए गए हैं। राज्य सरकार औद्योगिक विकास एवं इससे जुड़े सभी सेक्टर की वैल्यू एवं सप्लाई चेन के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए गैर-कृषि, बंजर एवं अनुपयोगी भूमि की पूलिंग को प्रोत्साहित करके लैंड बैंक तैयार करना शुरू कर दिया गया है।